पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 177/2024 दिनांक- 04.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

दहेज हत्या में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 03.06.2024 को वादी मुकदमा शंम्भू दयाल सोनकर पुत्र स्व0 लालता प्रसाद सोनकर निवासी मुहल्ला नरौली थाना – सिधारी जिला – आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा की पुत्री रेनू सोनकर उम्र लगभग 24 वर्ष की शादी करीब 2.5 वर्ष पूर्व राहुल सोनकर पुत्र शिवप्रसाद निवासी जयराजपुर के साथ हुई थी। इसके पति राहुल, सास- विद्या, ससुर शिव प्रसाद, देवर आशीष, व ननद मंगीत निवासीगण जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ तथा ननदोई अनिल के द्वारा दहेज में चार पहिया गाड़ी की माँग को लेकर मारना पीटना प्रताड़ित करना व दहेज के लिए पुत्री रेनू सोनकर की दिनांक 03.06.24 को हत्या कर दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 1.पति राहुल पुत्र शिव प्रसाद 2.सास- विद्या पत्नी शिव प्रसाद, 3.ससुर शिव प्रसाद पुत्र अज्ञात 4.देवर आशीष पुत्र शिवप्रसाद, 5.ननद मंगीत पुत्री शिवप्रसाद वर्ष निवासीगण जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 6.ननदोई अनिल पता अज्ञात पंजीकृत किया गया गया था। जिसमे आज दिनांक 04.06.2024 को राहुल, विद्या,शिवप्रसाद,आशीष तथा मंगीत उपरोक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.06.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. शिवप्रसाद पुत्र सुभग्गा 2. राहुल सोनकर पुत्र शिवप्रसाद सोनकर 3. आशीष सोनकर पुत्र शिवप्रसाद सोनकर 4. विद्या देवी पत्नी शिवप्रसाद 5. मंगीता पुत्री शिवप्रसाद निवासीगण ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनद आजमगढ़ को अभियुक्तों के घर ग्राम जयराजपुर से समय करीब 05.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 197/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवप्रसाद पुत्र सुभग्गा सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. राहुल सोनकर पुत्र शिवप्रसाद सोनकर सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. आशीष सोनकर पुत्र शिवप्रसाद सोनकर सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
4. विद्या देवी पत्नी शिवप्रसाद सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
5. मंगीता पुत्री शिवप्रसाद सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना – अहरौला

हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 लाठी बरामद।

पूर्व का विवरण-

➡ दिनांक 17/11/2023 को वादी मुकदमा बृजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 लालता यादव ग्राम – कोठरा थाना – अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि प्रार्थी के जमीन सम्बंधी विवाद को लेकर अभियुक्त द्वारा गाली – गुत्ता व जान- माल की धमकी देते हुए लात-घूसा मूका व लाठी –डण्डा से मारने लगे बीच –बचाव हेतु प्रार्थी का भाई राजेश यादव के आने पर जान मारने की नियत से घर मे घुसकर धारदार फावड़ा से मारपीट की गयी, के सम्बंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 384/23 धारा 323/324/452/504/506/307 भादवि बनाम 1. लालजीत यादव पुत्र स्व0 बुधई 2. प्रदीप पुत्र लालजीत यादव 3. कन्हैया यादव पुत्र लालजीत यादव निवासीगण कोठरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बतफतिशी उ0नि0 कुलदीप सिंह के पंजीकृत किया गया था।

➡ दिनांक 19/11/2023 को (विपक्षी) वादी मुकदमा लालजीत यादव पुत्र स्वर्गीय बुधई यादव ग्राम कोठरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादी के खेत के सिचाई का पानी विपक्षी के खेत मे चले जाने से अभियुक्त द्वारा गाली – गुत्ता व जान- माल की धमकी देते हुए लात-घूसा मूका व लाठी –डण्डा से मारने लगे बीच –बचाव हेतु प्रार्थी के लड़के प्रदीप यादव व लड़की आरती के आने पर जान मारने की नियत से घर मे घुसकर धारदार फावड़ा व कुल्हाडी से मारने पीटने के सम्बंध में थाना हाजा मु0अ0सं0 387/23 धारा 323/504/506/452/307/34 भादवि दिनांक घटना 17-11-2023 बनाम 1. राजेश यादव पुत्र स्व0 लालता यादव 2. बृजेश यादव पुत्र स्व0 लालता यादव 3. विपिन यादव पुत्र रामकेश यादव 4. दुर्गविजय यादव उर्फ विशाल यादव पुत्र राजेश यादव 5. रणविजय यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र राजेश यादव निवासीगण कोठरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बतफतिशी उ0नि0 कुलदीप सिंह के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 04.06.2024 को व0उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा दोनो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. लालजीत यादव पुत्र स्व0 बुधई 2. बृजेश यादव पुत्र स्व0 लालता यादव को अभियुक्त के घर ग्राम कोठरा से समय 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त दोनो अभियुक्तो के कब्जे से 01-01 लाठी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 384/23 धारा 323/452/504/506/307/325 भादवि थाना अहरौला आजमगढ
2. मु0अ0सं0 387/23 धारा 323/504/506/452/307/34/325 भादवि अहरौला आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. अभियुक्त लालजीत पुत्र स्व0 बुधई जो (मु0अ0सं0 387/23) का अभियुक्त है।
2. बृजेश यादव पुत्र स्व0 लालता यादव जो (मु0अ0सं0 384/23) का अभियुक्त है।

बरामदगी- दोनो अभियुक्तगण के पास से एक –एक अदद आलाकत्ल (लाठी) बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 कुलदीप सिंह,उ0नि0 श्री निशिकान्त, हे0का0 हरिश्चन्द्र भाष्कर व का0 प्रमोद यादव थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

दुष्कर्म का आरोपी अभियक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 14.10.2022 को वादिनी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मा.न्यायालय में प्रस्तुत प्रा.पत्र के क्रम में मा.न्यायालय के आदेश पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स.358/22 धारा 376/506 भादवि बनाम नूर आलम उम्र लगभग पुत्र सहाबुद्दीन साकिन सरसेना खालसा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवचना तत्कालीन विवेचक /थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई। जिसकी विवेचना विवेचक/थानाध्यक्ष की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मा.उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा दिनांक 22.11.2022 को रोक लगा दी गयी थी। पुनः मा.उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 22.4.2024 को आदेशित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में अभियुक्त गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 04.6.2024 को व0उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नूर आलम उम्र लगभग पुत्र सहाबुद्दीन साकिन सरसेना खालसा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को सदाफाल तिराहा मुहम्मदपुर से समय 9.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु.अ.स.358/22 धारा 376/506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः— मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-नूर आलम उम्र लगभग पुत्र सहाबुद्दीन साकिन सरसेना खालसा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.व0उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2.हे0का0 इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़